प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2008-09 से 2014-15 की अवधि के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) की चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा का परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वह है जो जनवरी 2015 से मई 2015 की अवधि के दौरान की गई विशेष लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए थे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की गई है।

लेखापरीक्षा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय/कर्मचारी राज्य बीमा निगम से लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर प्राप्त सहयोग हेतु आभार प्रकट करता है।